

सेबी ने ऋण प्रकटीकरण के लिये रखा कड़े मानदंडों का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

सूचीबद्ध कंपनियों को जल्द ही ऋण प्रतभूतियों पर डफ़ॉल्ट की स्थिति में त्वरित प्रकटीकरण करना पड़ सकता है। कंपनियों को ऐसा प्रकटीकरण उस स्थिति में भी करना पड़ेगा, जब कंपनी केवल ब्याज या मूल राशिके भुगतान में संभावित देरी या डफ़ॉल्ट की अपेक्षा कर रही हो।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय प्रतभूत और वनियम बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने पछिले साल बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिये गए और डफ़ॉल्ट हुए ऋणों के प्रकटीकरण से संबंधित मानदंडों को कड़ा करने का प्रयास किया था। लेकिन उसे वरिोध का सामना करना पड़ा, परिणामतः मानदंडों को सख्त नहीं किया जा सका।
- अब सेबी इस तरह के प्रकटीकरणों को अनविरय बनाने हेतु लसि्टिग वनियमनों में संशोधन करने की योजना बना रहा है।
- पूंजी बाजार नयिमक ने लसि्टिग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ वनियमन, 2015 (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulation, 2015) में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है, जिसका सभी सूचीबद्ध कंपनियों का पालन करना होगा।
- सेबी ने ऐसे बदलावों का प्रस्ताव दिया है, जिनके अंतर्गत कंपनी को 24 घंटे के भीतर किसी भी डफ़ॉल्ट या अपेक्षित डफ़ॉल्ट या ब्याज भुगतान में देरी या गैर-परविरतनीय ऋण प्रतभूतियों (non-convertible debt securities) पर लाभांश या गैर-परविरतनीय प्रतदिय वरीयता शेयर (non-convertible redeemable preference shares) पर लाभांश के मामले में अनविरयतः प्रकटीकरण करना होगा।
- इसके अलावा, यदि कोई ऐसी कोई ऐसी कार्रवाई या प्रस्ताव है, जो ऋण प्रतभूतियों के प्रतदिन, रूपांतरण, रद्दीकरण, नवित्त को आंशिक रूप से या पूरण रूप से प्रभावित कर सकती है, उसका भी जल्द से जल्द प्रकटीकरण करना होगा और यह समयावधि किसी भी स्थिति में 24 घंटे से अधिक नहीं होगी।
- पछिले साल ऋण डफ़ॉल्ट प्रकटीकरण पर सेबी द्वारा जारी किये गए सर्कुलर के बारे में वचिर वयक्त किया गया था कियह प्रतभूत बाजार की सीमाओं से परे चला गया था, इस कारण वह अवरुद्ध हो गया।
- इस बार सेबी ने अपनी सीमाओं में रहकर कार्य किया है और एलओडीआर नयिमों में संशोधन करके प्रकटीकरण के लिए नयिमों को सख्त बनाने का प्रस्ताव रखा है।
- इसके अतरिकित, सेबी चाहता है कि सूचीबद्ध कंपनियाँ प्रत्येक तमिही के दौरान सभी एनसीडी या एनसीआरपीएस पर देय ब्याज या लाभांश से संबंधित वविरण का पाँच दिन पूर्व प्रकटीकरण कर दें।
- तत्पश्चात्, तमिही के अंत से दो कार्य दविसों के भीतर एक प्रमाणपत्र द्वारा ऐसे सभी भुगतानों की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी।
- कंपनियों को प्रत्येक तीन माह में किसी भी आगम के उपयोग में, यदि कोई भी 'मेटेरियल डेविएशन' (material deviation) का मामला आता है, तो इसकी जानकारी सेबी को देनी होगी।
- बाजार प्रतभागियों को प्रस्ताव पर अपना फीडबैक देने हेतु 11 जून, 2018 तक का समय दिया गया है।